

No. F7(4)CCE/Acad/Classes monitoring/-17030

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:— अकादमिक सत्र 2024–25 के शुभारम्भ एवं सुचारु संचालन के क्रम में।

महोदय,

सभी प्राचार्यों एवं संकाय सदस्यों को नवीन अकादमिक सत्र 2024–25 की हार्दिक शुभकामनाएँ।

विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 28.06.2024 (राजकाज सन्दर्भ संख्या 8408124) के क्रम में महाविद्यालयों में चल रही विश्वविद्यालयी परीक्षाओं एवं नवीन प्रवेश व प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालयों से नियुक्त किये गये नोडल अधिकारियों के स्थान पर संयुक्त निदेशक अपने आवंटित संभाग में सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से निम्न कार्य सम्पादित करवाया जाना सुनिश्चित करें –

- (1) स्नातक द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) एवं स्नातक तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर/उत्तरार्द्ध में प्रवेश नवीनीकरण कार्य को गति प्रदान करते हुए नवीनीकृत विद्यार्थियों की आगामी सत्र 2024–25 की नियमित कक्षाएँ दिनांक 01 जुलाई, 2024 से तथा स्नातक पार्ट प्रथम (सेमेस्टर प्रथम) की प्रथम प्रवेश सूची के विद्यार्थियों के वर्ग आवंटन होते ही उनकी नियमित कक्षाएं प्रारम्भ की जानी है।
- (2) समस्त प्राचार्य दिनांक 01 जुलाई, 2024 से अपने महाविद्यालय में स्नातक द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) व स्नातक तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर/उत्तरार्द्ध तथा स्नातक पार्ट प्रथम (सेमेस्टर प्रथम) की प्रथम प्रवेश सूची के विद्यार्थियों के वर्ग आवंटन होते ही उनकी नियमित कक्षाएं प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करावे तथा आवश्यक सूचनाएं "Class Monitoring 2024–25" नामक स्प्रेडशीट में 03 जुलाई 2024 को व तत्पश्चात प्रत्येक शनिवार को भरना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही नोडल प्राचार्य राजसेस महाविद्यालयों में भी कक्षाओं की मॉनिटरिंग करवाये।
- (3) प्राचार्य जुलाई के प्रथम सप्ताह में हितधारकों (विद्यार्थी, अभिभावक, पूर्व छात्र परिषद Alumni, शिक्षाविद, विकास समिति के सदस्य, गणमान्य नागरिक इत्यादि) के साथ बैठक का आयोजन कर शैक्षणिक सत्र के शुभारम्भ, नियमित कक्षाएँ तथा विभिन्न गतिविधियों के सम्बन्ध में विचार विमर्श एवं हितधारकों के सुझाव प्राप्त करेंगे।

RajKaj Ref
8479510



Signature valid

Digitally signed by Pankaj Sen
Designation: Commissioner
Date: 2024.06.29 17:41:23 IST
Reason: Approved

- (5) प्राचार्य 01 जुलाई, 2024 से सत्रारम्भ एवं कक्षाओं के प्रारम्भ होने की सूचना, सोशल मीडिया, नोटिस बोर्ड एवं स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से संचारित करें।
- (6) प्राचार्य महाविद्यालय की समय-सारिणी (Time Table) विद्यार्थियों के सूचनार्थ महाविद्यालय में सूचना पट्ट (Notice Board) सहित विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित (Display) करें।

(पुखराज सेन) IAS
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि आपको आवंटित संभाग के सहायक निदेशक से समन्वय करते हुए संबंधित समस्त सूचनाओं का संकलन कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।
6. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि अपने संभाग की समस्त सूचनाएं संबंधित प्राचार्यों से भरवाया जाना तथा उक्त सूचनाओं को संबंधित संयुक्त निदेशक को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को प्रेषित लेख है उक्त पत्र की पालना किया जाना तथा पूर्व आदेश में आपके महाविद्यालय से नियुक्त नोडल अधिकारियों को उक्तानुसार सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।
8. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने बाबत।

(पुखराज सेन) IAS
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

RajKaj Ref
8479510

Signature valid

Digitally signed by Pukraj Sen
Designation: Commissioner
Date: 2024.06.29 17:41:23 IST
Reason: Approved